

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क.-745 / 2010

संस्थित दिनांक-28.09.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,

अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - - - अभियोजन

विरुद्ध

फूलचंद पिता चुन्नेलाल मरावी, उम्र 33 साल, जाति गोंड,

निवासी ग्राम सावरी थाना बहेला जिला बालाघाट (म.प्र.)- - - - - आरोपी

- :: निर्णय :: -

(आज दिनांक 14 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 452, 323, 325, 506(भाग-2) का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 04.09.2010 को दिन के करीब 05:00 बजे ग्राम सालेटेकरी से उपकार पान्दे के मकान में जो मानव निवास के रूप में काम आता है में उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं गंगाबाई को डंडे से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की एवं सुकबारोबाई को घोर उपहति कारित की तथा जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया गंगाबाई ने दिनांक 04.09.2010 को पुलिस चौकी सालेटेकरी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 04.09.2010 को 05:00 बजे आरोपी फूलचंद हाथ में डंडा लेकर आया और उसे मारने की तैयारी करके घर के अन्दर घुसा और उसे डंडे

से मुंह, पेट पर मारा जिससे वह गिरने के बाद उसे खींचकर घर से बाहर निकाल कर कौंदा की लकड़ी से भी मारपीट की जिससे उसे चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 101/10 अन्तर्गत धारा 452, 323, 324, 506 (बी) पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से लकड़ी जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 323, 324, 325, 506 (बी) के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 323, 325, 506 (भाग-2) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी तथा फरियादिया गंगाबाई के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी फूलचंद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 325, 506 (भाग-2) के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 325, 506 (भाग-2) के आरोप में सुकबारोबाई को मारने के आशय से घर में प्रवेश कर डंडे से मारकर स्वैच्छया घोर उपहति कारित कर और जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित किया का विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादिया ने पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(06) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 04.09.2010 को दिन के करीब 05:00 बजे ग्राम सालेटेकरी से उपकार पान्दे के मकान में जो मानव निवास के रूप में काम आता है में उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

(ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर आहत सुकबारोबाई को डंडे से आंख की पलक पर मारकर घोर उपहति कारित की ?

(स) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर सुकबारोबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब', एवं 'स', :-

(07) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब', एवं 'स', का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 04.09.2010 को फरियादिया गंगाबाई की मौखिक रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0/10 अन्तर्गत धारा 452, 323, 324, 506 (बी) की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी-08 है। फरियादिया गंगाबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 बनाया था। आरोपी फूलचंद से लकड़ी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया था। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया था। फरियादिया गंगाबाई साक्षी रमोलाबाई, सुकबारोबाई, सुरेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। प्रकरण की विवेचन पूर्ण कर थाना प्रभारी को प्रेषित किया। इसी प्रकार विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी रामकिशोर मात्रे (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 05.09.2010 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए चौकी सालेटेकरी के आरक्षक सुनील के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-08 असल नम्बरी हेतु थाना लाकर पेश करने पर अपराध क्रमांक 101/10 धारा 452, 323, 324, 506 भा.दं.वि. असल नम्बर पर कायमी की थी जो प्रदर्श पी-03 है।

(09) अभियोजन साक्षी डॉ.एम.मेश्राम (अ.सा.03) का भी कहना है कि दिनांक 04.09.2010 को उसने आहत सुकबारोबाई का मेडिकल परीक्षण किया और निम्न चोटें पाई :- चोट क्रमांक 1 माथे के मध्य भाग पर सूजन, चोट क्रमांक 2 उपरी होठ पर सूजन, चोट क्रमांक 3 निचली होठ पर सूजन, चोट क्रमांक 4 गाल पर सूजन, चोट

क्रमांक 5 एवं आंख के उपर कटाफटा घाव होना पाया था। चोट क्रमांक 1 से 4 साधारण प्रकृति की थी, चोट क्रमांक 5 व 6 गम्भीर प्रकृति की थी। उक्त चोटे सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है।

(10) किन्तु अभियोजन साक्षी/फरियादिया गंगाबाई (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी उसके घर के बाहर (सड़क) लोकमार्ग की है। आरोपी से उसका विवाद हो गया था जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाने में की थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी द्वारा उसके घर के अन्दर उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर स्वैच्छया उपहति कारित की इससे स्पष्ट इन्कार किया और चिकित्सीय परीक्षण होने से तथा पुलिस को घटना के सम्बन्ध में बताये जाने से भी स्पष्ट इन्कार किया।

(11) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी रमोलाबाई (अ.सा.04) का भी कहना है कि उसके सामने आरोपी फूलचंद ने उसकी लड़की गंगाबाई एवं सुकबारोबाई के साथ मारपीट नहीं की और न ही उसे घटना के सम्बन्ध में जानकारी है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी फूलचंद ने उसके घर के अन्दर उसकी लड़की गंगाबाई और सुकबारोबाई को लकड़ी से मारपीट की इससे स्पष्ट इन्कार किया और पुलिस को घटना के सम्बन्ध में कथन देने से इन्कार किया।

(12) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुरेश (अ.सा.06) का भी कहना है कि घटना के सम्बन्ध में उसके कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और पुलिस को घटना के सम्बन्ध में बताने से भी इन्कार किया।

(13) अभियोजन साक्षी उपकार सिंह (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के तीन-चार माह पुरानी रात्रि के 12:00 बजे की है। आरोपी ने उसके घर के अन्दर घुसकर उसकी लड़की गंगाबाई और उसकी पत्नी सुकबारोबाई के साथ लकड़ी से मारपीट की थी। पुलिस ने उसके सामने लकड़ी जप्त की थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि आरोपी उसके घर में ही रहता है और आरोपी से विवाद मौखिक हुआ था। गंगाबाई और

सुकबारोबाई को चोट दीवार से टकराने से आयी थी। उसने पुलिस को घटना के सम्बन्ध में नहीं बताया था।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा फरियादिया गंगाबाई एवं साक्षी रमोलाबाई को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी उपकार सिंह के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से भी अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा.05) का कहना है कि उसने दिनांक 04.09.2010 को फरियादिया गंगाबाई की मौखिक रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0/10 अन्तर्गत धारा 452, 323, 324, 506 (बी) की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी-08 है। फरियादिया गंगाबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 बनाया था। आरोपी फूलचंद से लकड़ी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया था। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया था। फरियादिया गंगाबाई साक्षी रमोलाबाई, सुकबारोबाई, सुरेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। प्रकरण की विवेचन पूर्ण कर थाना प्रभारी को प्रेषित किया। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी रामकिशोर मात्रे (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 05.09.2010 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए चौकी सालटेकरी के आरक्षक सुनील के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-08 असल नम्बरी हेतु थाना लाकर पेश करने पर अपराध क्रमांक 101/10 धारा 452, 323, 324, 506 भा.दं.वि. असल नम्बर पर कायमी की थी जो प्रदर्श पी-03 है।

(17) अभियोजन साक्षी डॉ.एम.मेश्राम (अ.सा.03) का भी कहना है कि दिनांक 04.09.2010 को उसने आहत सुकबारोबाई का मेडिकल परीक्षण किया और निम्न चोटे पाई :- चोट क्रमांक 1 माथे के मध्य भाग पर सूजन, चोट क्रमांक 2 उपरी होठ पर सूजन, चोट क्रमांक 3 निचली होठ पर सूजन, चोट क्रमांक 4 गाल पर सूजन, चोट

क्रमांक 5 एवं आंख के उपर कटाफटा घाव होना पाया था। चोट क्रमांक 1 से 4 साधारण प्रकृति की थी, चोट क्रमांक 5 व 6 गम्भीर प्रकृति की थी। उक्त चोटे सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है।

(18) किन्तु अभियोजन साक्षी/फरियादिया गंगाबाई (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी उसके घर के बाहर (सड़क) लोकमार्ग की है। आरोपी से उसका विवाद हो गया था जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाने में की थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी द्वारा उसके घर के अन्दर उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर स्वैच्छया उपहति कारित की। इससे स्पष्ट इन्कार किया और चिकित्सीय परीक्षण होने से तथा पुलिस को घटना के सम्बन्ध में बताये जाने से भी स्पष्ट इन्कार किया।

(19) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी रमोलाबाई (अ.सा.04) का भी कहना है कि उसके सामने आरोपी फूलचंद ने उसकी लड़की गंगाबाई एवं सुकबारोबाई के साथ मारपीट नहीं की और न ही उसे घटना के सम्बन्ध में जानकारी है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी फूलचंद ने उसके घर के अन्दर उसकी लड़की गंगाबाई और सुकबारोबाई को लकड़ी से मारपीट की इससे स्पष्ट इन्कार किया और पुलिस को घटना के सम्बन्ध में कथन देने से इन्कार किया।

(20) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सुरेश (अ.सा.06) का भी कहना है कि घटना के सम्बन्ध में उसके कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और पुलिस को घटना के सम्बन्ध में बताने से भी इन्कार किया।

(21) अभियोजन साक्षी उपकार सिंह (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के तीन-चार माह पुरानी रात्रि के 12:00 बजे की है। आरोपी ने उसके घर के अन्दर घुसकर उसकी लड़की गंगाबाई और उसकी पत्नी सुकबारोबाई के साथ लकड़ी से मारपीट की थी। पुलिस ने उसके सामने लकड़ी जप्त की थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि आरोपी उसके घर में ही रहता है और आरोपी से विवाद मौखिक हुआ था। गंगाबाई और

सुकबारोबाई को चोट दीवार से टकराने से आयी थी। उसने पुलिस को घटना के सम्बन्ध में नहीं बताया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से साक्षी के कथन विश्वासनीय प्रतीत नहीं होते।

(22) प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत फरियादिया गंगाबाई, एवं साक्षी रमोलाबाई के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन साक्षी उपकार सिंह के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से एवं फरियादिया गंगाबाई तथा साक्षी रमोलाबाई को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं करने से आरोपी फूलचंद ने दिनांक 04.09.2010 को दिन के करीब 05:00 बजे ग्राम सालेटेकरी से उपकार पान्दे के मकान में जो मानव निवास के रूप में काम आता है में उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं सुकबारोबाई को डंडे से मारकर घोर उपहति कारित की तथा जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

(23) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी फूलचंद ने दिनांक 04.09.2010 को दिन के करीब 05:00 बजे ग्राम सालेटेकरी से उपकार पान्दे के मकान में जो मानव निवास के रूप में काम आता है में उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं सुकबारोबाई को डंडे से मारकर घोर उपहति कारित की तथा जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(24) परिणाम स्वरूप आरोपी फूलचंद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452, 325, 506(भाग-2) के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(25) प्रकरण में आरोपी फूलचंद पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(26) प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे।

— / / 08 / / —

आप. प्रक. क.-745/2010

अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)